राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) अधिनियम, 1956

(1957 का अधिनियम संख्यांक 7)

[11 जनवरी, 1957]

लाभ के कतिपय पद उनके धारकों को, राज्य की विधान सभा सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने से निरर्हित नहीं करते, यह घोषणा करने करने के लिए अधिनियम

यतः राज्य में के लाभ के जो पद उनके धारकों को राज्य की विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने से निरर्हित नहीं करेंगे उनकी घोषणा करने वाली विधि की समेकित और संशोधित करना समीचीन है

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है ---

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारभ---(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान-सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) अधिनियम, 1956 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. निर्वचन---(1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में, राज्य से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 10 द्वारा निर्मित नया राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ।

(2) पुनर्गठन-पूर्व के राजस्थान राज्य में प्रवृत्त राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 8) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित यावत्शक्य इस अधिनियम पर लागू होंगे ।

3. राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हता का निराकरण एवं निवारण---एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पद, उनके धारकों को राज्य विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने या सदस्य होने से निरर्हित नहीं करेंगे या उन्होंने कभी भी निरर्हित किया है, यह नहीं समझा जाएगा, अर्थात् ---

(क) राज्य मंत्री या उप मंत्री का पद

[1] [(कक) सरकारी मुख्य सचेतक का पद ;]

[2][(ककक) सरकारी उप-मुख्य सचेतक का पद ;]

(ख) संसदीय सचिव या अवर संसदीय सचिव का पद ;

[3][(खख) राजस्थान विधान सभा में विपक्ष के नेता का पद ;]

(ग) लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण की सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी मामले में जांच करने या उसके संबंध में आंकड़े इकट्ठे करने के प्रयोजन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद यदि ऐसे किसी पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न कोई फीस प्राप्त न करता हो या किसी पारिश्रमिक का हकदार न हो ;

(घ) राष्ट्रीय केडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 31) के अधीन समुस्थापित और संधारित राष्ट्रीय केडेट कोर में या प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 56) के अधीन समुस्थापित और संधारित प्रादेशिक सेना में या आरक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 62) के अधीन समुस्थापित सहायक वायु सेना या एयर डिफेंस रिजर्व में के अधिकारियों द्वारा धारित पद ;

(ङ) खण्ड (ग) में यथानिर्दिष्ट किसी समिति से भिन्न समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

---

[1] 1969 के राजस्थान अधिनियम सं0 7 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित और सदैव से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा और तारीख 16-4-1969 का राजस्थान राजपत्र, विशेषांक, भाग 4क में प्रकाशित ।

[2] 1981 के राजस्थान अधिनियम सं0 4 की धारा 16(क) द्वारा अन्तःस्थापित और तारीख 2-4-1981 के राजस्थान राजपत्र, विशेषांक, भाग 4क में प्रकाशित ।

[3] 1981 के राजस्थान अधिनियम सं0 4 की धारा 16(ख) द्वारा अन्तःस्थापित ।

(च) किसी कानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या किसी अधिकारी का पद, जहां किसी ऐसे पद पर किसी को नियुक्त करने की शक्ति या किसी व्यक्ति को वहां से हटाने की शक्ति सरकार में निहित हो ;

(छ) किसी ऐसे बीमाकर्ता, जिसके नियन्त्रित व्यापार का प्रबन्ध जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 9) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, के अधीन लाभ का पद ।

स्पष्टीकरण---जब तक विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस धारा में,---

(i) समिति से सरकार द्वारा गठित कोई समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह कानूनी निकाय हो या न हो, अभिप्रेत है ;

(ii) प्रतिकारात्मक भत्ता से ऐसी धनराशि अभिप्रेत है जिसका समिति के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने या समिति के सदस्य के रूप में कोई अन्य कृत्य करने में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने में अध्यक्ष या सदस्य को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, प्रवहण भत्ते या गृह किराए भत्ते के रूप में संदेय होना सरकार अवधारित करे ;

[1][(iii) दैनिक भत्ता से तात्पर्य ऐसे दैनिक भत्ते से है जो समय-समय पर तथा संशोधित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, 1956 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार राज्य विधान सभा के सदस्य को अनुज्ञेय दैनिक भत्ते की रकम से अधिक नहीं होगा ;]

(iv) बीमाकर्ता से जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 9) की धारा 2 के खण्ड (5) में परिभाषित बीमाकर्ता अभिप्रेत है ;

(v) कानूनी निकाय से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित, रजिस्ट्रीकृत या निर्मित या किसी ऐसी विधि के अधीन शक्तियों का प्रयोगकर्ता और कृत्यों का पालनकर्ता, कोई निगम, बोर्ड, कंपनी, सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, अभिप्रेत है ।

4. निरसन---राजस्थान विधान-सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) अध्यादेश, 1956 (1956 का राजस्थान अध्यादेश 10), एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है ।

---

[1] 1976 के राजस्थान अधिनियम 3 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित और राजस्थान के राजपत्र, असाधारण, भाग 4क, तारीख 24-1-1976 में (1-4-1975 से) प्रकाशित ।